राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

:: निर्णय ::

S.B. Criminal Revision No. 532/2019

1. Krishna Kripa Real Estate Pvt Ltd, Through Director Rekharam Maandiwaal R/o 2-Jha-2 Kamla Nehru Nagar Heerapur Ajmer Road Jaipur
2. Rekharam Maandiwaal S/o Shri Dungaram, R/o 2-Jha-2 Kamla Nehru Nagar Heerapura Ajmer Road Jaipur

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Nirmala Chaudhary W/o Shri Hardev Singh Chaudhary, R/o Plot No 16 Mitra Nagar Colony Ramnagar Sodala Jaipur

----Respondents

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री अजातशत्रु मीणा
लोक अभियोजक श्री रमेश चौधरी
अयाची के अधिवक्ता श्री उमेश चौधरी।

:: आदेश :: **29.3.2019**

न्यायालय द्वारा :

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, **विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट कैसेज) क्रम–3, जयपुर महानगर** द्वारा प्रकरण संख्या–**93/2016** में पारित निर्णय दिनांकित **5.4.2018,**

जिसके तहत अयाची–परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर याची–अभियुक्तगण को धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषी करार देते हुए **दो वर्ष के साधारण कारावास** एवं **11,80,000/– रूपये** का प्रतिकर अधिरोपित कर दण्डित किया गया है, के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, **अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम–3, जयपुर महानगर में** प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–**25/2018 (501/2018)** निर्णय दिनांक **26.2.2019** के तहत खारिज की गई, से व्यथित होकर याची–अभियुक्त की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

योग्य अधिवक्ता याची/अभियुक्त का कथन रहा कि यह प्रकरण धारा 138 एन आई एक्ट से सम्बन्धित है, जिसमें पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा की रोशनी में परिवादिया निर्मला चौधरी को 7,50,000/–रूपये का पे–आर्डर भी दिया जा चुका है। अपने कथनों के समर्थन में उनकी ओर से उक्त पे–आर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

आज परिवादिया निर्मला देवी स्वयं उपस्थित हैं, जिसके द्वारा कथन किया गया कि उसका याची–अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा के तहत 7,50,000/–रूपये का पे–आर्डर उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा राजीनामा की रोशनी में यदि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों एवं दण्डादेशों को अपास्त किया जाकर याची अभियुत को बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है, तो उसे आपत्ति नहीं है। परिवादिया को उनके अधिवक्ता द्वारा शिनाख्त किया गया।

सुना गया एवं विचार किया गया। स्वीकृत रूप से दोनों पक्षों ने आपस में राजीनामा होने के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा दोनों पक्षों ने आपस में किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाना व याची को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट से बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। किन्तु चूंकि याची एक रियल एस्टेट फर्म है, जिसका आर्थिक स्तर कमजोर होना नहीं माना जा सकता। इसके अलावा याची की ओर से विधिक सेवा प्राधिकरण में 15 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने से मुक्ति प्रदान किए जाने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह रिवीजन याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर राशि की 15 प्रतिशत राशि विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराये जाने की पूर्व शर्त के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर राशि की 15 प्रतिशत राशि विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराये जाने की पूर्व शर्त के आधार पर** पक्षकारो के मध्य हुए राजीनामा की रोशनी में स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय, **विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट कैसेज) कम–3, जयपुर महानगर** द्वारा प्रकरण संख्या–**93/2016** में पारित निर्णय दिनांकित **5.4.2018** तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, **अपर सैशन न्यायाधीश, कम–3, जयपुर महानगर में** प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–**25/2018 (501/2018)** निर्णय दिनांक **26.2.2019** को राजीनामा के आधार पर अपास्त किया जाता है तथा याची–अभियुक्त को धारा **138** परक्राम्य

लिखत अधिनियम के आरोप से बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है। तद्नुसार सजा स्थगन प्रार्थना पत्र भी निस्तारित किया जाता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/4